वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2010

(आयकर)

का.आ. 2194(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (15) के उप-खण्ड (iv) की मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा वित्त वर्ष 2010-2011 के दौरान इंडियन रेलवे फाइनांस कारपोरेशन (आई आर एफ सी) के ट्रांचे के आकार एवं कार्यकाल के आधार पर 6% से 7.25% प्रतिवर्ष तक की ब्याज दर के साथ पब्लिक इश्यू के मामले में 1000 रुपये प्रत्येक तथा अन्य मामलों में 100000 रुपये प्रत्येक के कुल तीन हजार आठ करोड़ रुपए मात्र के कर मुक्त प्रत्याभूत, विमोचनीय, अपरिवर्तनीय रेलवे बॉंड जारी करने के लिए अधिकृत करती है :

बशर्ते कि उक्त मद के अंतर्गत लाभ तभी ग्राह्य होगा जब ऐसे बांडों का धारक उक्त कारपोरेशन के यहां अपना नाम एवं होल्डिंग पंजीकृत कराए ।

[अधिसूचना सं. 72/2010/फा. सं. 178/126/2009-आ.क.नि.-1]

रमण चोपड़ा, निदेशक (आ.क.नि.-1)